

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ

आदेश संख्या 24 / 2024 दिनांक 22/03/2024

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक ___/BSLSA/LAW/_315/1605 दिनांक 19.07.2017 के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ अंतर्गत 100 पारा विधिक स्वयं सेवकों का नये सिरे से एक वर्ष के लिए चयन कर सूचीबद्ध (Empanelment) किया जाना है।

उक्त प्रसंग में कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था जिसमें आवेदन करने की तिथि – 22.02.2024 से 13.03.2024 कार्यालय अवधि तक (कार्यालय कार्यदिवस में) अंकित था जिसमें मात्र 183 आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जो कम था। पारा विधिक स्वयं सेवकों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र से होना आवश्यक है।

उक्त आलोक में श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ के निर्देशानुसार आवेदन करने की तिथि को बढ़ाकर आज दिनांक 22.03.2024 से 31.03.2024 रविवार 04:30 बजे अपराहन तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

उक्त आदेश के आलोक में जो आवेदक अपना आवेदन नहीं कर सके हैं, वे विस्तारित अवधि के समय सीमा के अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं।

कार्यालय आदेश की प्रति कार्यालय-सूचना-पट (नोटिस बोर्ड) पर चस्पा कराये एवं व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के वेबसाइट <https://purnea.dcourts.gov.in> पर अपलोड करने हेतु नोडल पदाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ को पत्र प्रेषित करे।


सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ